## पोत परिवहन मंत्रालय

### (नौवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2018

**सा.का.नि. 209.—**केंद्रीय सरकार, नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966 (1966 का 4) की धारा 7 कि उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और नाविक भविष्य निधि (आयुक्त) भर्ती नियम, 2001 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, पोत परिवहन मंत्रालय मे आयुक्त नाविक भविष्य निधि संगठन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात: -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नाविक भविष्य निधि आयुक्त, भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र मे उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेंट्रिक्स में स्तर :** - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मेंट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन, नियमों से उपाबद्ध, अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) मे विनिदिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं :** - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताए और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता :** - वह व्यक्ति:

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसको पति या जिसकी पत्नी जीवित है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यकित और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है ओर ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति :** - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीधीन है, वहां वह उसके लिए, जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेंगी।

6. **व्यावृति :** - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा मे छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध मे समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स मे स्तर | चयन अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| नाविक भविष्य निधि आयुक्त | *1 कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है | समूह क | स्तर - 12 (78,800 – 20,9,200 रू) | लागू नही होता | लागू नही होता |

| सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। |
|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 |
| लागू नही होता | लागू नही होता | लागू नही होता |

| भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा मे वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा |
|---|---|
| 10 | 11 |
| प्रतिनियुक्ति (अलपकालिक संविदा सहित)/प्रोन्नति | प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)/ प्रोन्नति -----<br>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या पब्लिक सेकटर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्याप्राप्त अनुसंधान संस्थान या अर्धसरकारी या स्वायत या कानूनी संगठन के अधीन अधिकारी ।<br>(i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर पद धारण कि हो या,<br>(ii) (II) स्तर-II (67700/- - 208700/- रूपये) के वेतनमान मे पद पर नियमित आधार पर उनमें नियुक्ति के पश्चात दिए गए ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा की हो और निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो ।<br>**(अ) आवश्यक:**<br>(I) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से डिग्री।<br>(II) स्थापना, प्रशासन और लेखा संबधी मामलों का किसी सरकारी विभाग में दस वर्ष का अनुभव।<br>**वांछनीयः-**<br>(I) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्रबंधन (वित्) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या कारबार प्रशासन (वित्त) में मास्टर या विधि में डिग्री या समेकित पाँच वर्ष विधि, कंपनी सचिव या चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत प्रबधंन लेखा में डिर्गी ।<br>**टिप्पण 1 :** विभागीय प्रशानिक सह-लेखाधिकारी स्तर 10 -वेतन मैट्रिक्स (56100-177500 रू.) में 10 वर्ष की नियमित सेवा की हो, प्रतिनियुक्त किए व्यक्तियों के साथ साथ इन पर भी विचार किया जाएगा और इनके पद पर चयन होने की दशा में पद को प्रोन्नति से भरा माना जाएगा।<br>**टिप्पण 2 :** पोषक श्रेणी के वे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति मे है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त हेतु पात्र नही होंगे इसी तरह से, प्रतिनियुक्तियों को प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए पात्र नही माना जाएगा ।<br>**टिप्पण 3 :** (इसी या किसी अन्य संगठन/ केन्द्र सरकार के विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी संवर्ग बाह्य अन्य पद की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि समान्यतया चार वर्ष से अधिक नहीं ।<br>**टिप्पण 4 :** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुकित के लिए अधिकतम आयुसीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नही होगी। |

| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना | भर्ती करने मे किन परिस्थियों मे संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। |
|---|---|
| 12 | 13 |
| लागू नही होता | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। |

[फा. सं. पीबी-44(1)/2016-एसपीएफओ]

डॉ. पी. के. राउत, उप महानिदेशक, पोत परिवहन (कार्मिक)

## MINISTRY OF SHIPPING

### (SHIPPING WING)

New Delhi, the 2nd July, 2018

**G.S.R. 209.**—In exercise of powers conferred by the sub-section (5) of section 7 of the seamen's provident fund act, 1966 (4 of 1966), and in supersession of the seamen's provident fund (commissioner), recruitment rules, 2001, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the central government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of seamen's provident fund commissioner in the seamen's provident fund organisation, under the ministry of shipping namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the seamen's provident fund commissioner. Recruitment rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix.-** the number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said schedule.

4. **Disqualification. -** No person, -

(a) Who, has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living; or

(b) Who, having spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the central government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of the rule.

5 **Power to relax. -** Where the central government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the union public service commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6 **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxations of age-limit and other concession required to be provided for the scheduled caste, the scheduled tribes, the ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the central government in time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| Name of the post | Number of post | Classification | Level in the pay matrix | Whether selection or non-selection post | Age limit for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Seamen's provident fund commissioner. | 1 (2018) subject to variation dependent on work load. | Group 'A' | Level-12 (Rs. 78800-209200). | Not applicable. | Not applicable. |

| Educational and other qualification required for direct recruits | Whether age and education qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion or deputation absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made |
|---|---|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. | Deputation (including short-term contract) plus promotion. | **Deputation (including short term contract)/ promotion):**<br><br>Officers under the Central Government or State Government or Union Territory Administration or public sector undertaking or universities or recognised research institution or Semi Government or autonomous or statutory organizations:-<br><br>(a)<br><br>(I) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or<br><br>(II) with five year's service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post in level – 11 (Rs.67,700 – 2,08,700) in the pay matrix or equivalent, and<br><br>(b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:-<br><br>**Essential:**<br><br>(I) Degree from a recognized univerisly or institute.<br><br>(II) Ten years experience in establishment, administration and accounts matters in a Government Department.<br><br>**Desirable:**<br><br>Post graduate diploma in Management (Finance) or Master of Business Administration (Finance) or Degree in Law or integrated five years Degree in Law or Company Secretary or Chartered Accountant or Cost and Management Accountant from recognized university or institute.<br><br>**Note 1 :** the departmental administrative-cum-accounts officer in level 10 (Rs.56,100 – 1,77,500) in the pay matrix with ten years of regular service in the grade shall also be considered along with deputationists and if such person is selected, the post shall be deemed to have been filled up by promotion. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Note 2** : the departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.<br>**Note 3 :** period of deputation (including period of deputation) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the central government Shall ordinarily not to exceed four years.<br>**Note 4** : the maximum age limit for appointment by deputation (including sort term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications. |

| If a departmental promotion committee exists. What is its composition. | Circumstances in which union public service commission to be consulted in making recruitment. |
|---|---|
| (12) | (13) |
| Not applicable. | Consultation with union public service commission necessary. |

[F. No. PB-44(1)/2016-SPFO]

Dr. P. K. RAUT, Dy. Director General of Shipping (Personnel)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.07.19 15:46:35 +05'30'